कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक हनुमानगढ

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/मूल मान्यता/13–14/दिनांक 4.2.2013 एवं दिनांक 8.3.2013 के द्वारा क्रमोन्नति/नवीन मान्यता हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसरण निम्नांकित विधालयों द्वारा आवदेन करने पर विधालयों का क्रमोन्नति हेतु पैनल निरीक्षण करवाया जाकर निरीक्षण दल की अभिशंषा पर सत्र 2013–14 से कक्षा छठी व क्रमश सत्रानुसार कक्षा सातवी, आठवी लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र0 स0	नाम विधालय	स्तर	माध्यम	अनुमति
01	भव्या ऐंजल्स पब्लिक स्कूल 15बीजीपी दीनगढ,सगरिया	प्राथमिक स्तर	अग्रेजी	कक्षा–6 (छठी)
02	अकाल एकेडमी कमरानी	प्राथमिक स्तर	अग्रेजी	कक्षा–6 (छठी)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक हनुमानगढ

क्रमाकः–जिशिअ/हनु/प्रा0/मान्यता–क्रमोन्नति/2013–14/ 62 दिनांकः– 7/8/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

01:–ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ....

02:–व्यवस्थापक..............................

03:–कार्यालय प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक हनुमानगढ

RTE OFFICE DATA

प्रारूप–2

फोनः–01552266268

फैक्सः–01552266268

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ राजस्थान

क्रमाकः–जिशिअ/हनु/प्रा0/मान्यता/2012/ 1273   दिनांकः– 17/12/12

प्रबन्धक

दी कालगीधर ट्रस्ट

तहः सिमोर जिला सिमोर राज्य हिमाचल प्रदेश

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4)के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 20.9.2011 के आवेदन और इस संबध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश **अकाल एकेडी कमरानी (अग्रेजी माध्यम) तहः टीब्बी को दिनांक 12/2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा** 1 से 5 **कक्षा** तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है ।

2.विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध 1)और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2)के उपबंधो का पालना करेगा ।

3.विधालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की सख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडौस के कमजोर वर्गो और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसक पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।

4.पैरा–3में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की घारा–12(2)के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैक खाता रखेगा ।

5.सोसायटी/विधालय किसी .कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिग प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा ।

6.विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा । यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है ।

7.विधालय सुनिश्चित करेगा किः–'

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को ,विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नही किया जायेगा ।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी ।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना ।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की अधारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विघमान अध्यापक जिनकें पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे ।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है ,और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नही करेगे ।

8. विघालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठयचर्चा के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगा ।

9. विघालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविघाओं के अनुपात में विघार्थियों का नामांकन करेगा ।

10.विघालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विघालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा ।
अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐ निम्नानुसार है :–
विधालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित क्षेत्र :–1567.41 **वर्ग मीटर**
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल :–18942 **वर्ग मीटर**
कक्षा कमरों की संख्या : 15
प्रधानाघ्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष :–4
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :–है
पेयजल सुविधा :–है
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोईः–है
बाधा रहित पहुॅच
अघ्यापक पठन सामग्री /क्रीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धताः–उपलब्ध है।

11.विघालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विघालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐ नही चलाई जाएंगी ।

12.विघालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है ।

13.विघालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

14.विघालय को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है ।

15.विघालय के लेखाओं की चार्टड अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए ।प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिकशिक्षा)हनुमानगढ को भेजी जानी चाहिए

16.आपके विधालय को आवंटित मान्यता कोड 0176 संख्याक है । कृप्या इस नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे ।

17.विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)हनुमानगढ द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकाकरी के ऐसे अनुदेशो का पालना करता है ,जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत, अनुपालन को सुनिशिचत करने या विधालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं ।

18.सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण ,यदि हो को सूनिश्चित किया जाए ।

19.संलग्न उपाबंध ।।। के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक हनुमानगढ